पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 11 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24–01–2023

दिनांक 23/24–01–2023 को रात्रि थाना बन्थरा 02, थाना गाजीपुर 01, थाना इन्दिरानगर 02, थाना मदेयगंज 01, थाना सआदतगंज 02, थाना ठाकुरगंज 01, थाना वजीरगंज 02, अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना बीकेटी 01, पीजीआई 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 11 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पूर्वी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना आशियाना– दिनांक 23.01.2023 को एस0आई0 सुदर्शन सिंह थाना आशियाना लखनऊ द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभियुक्त 01–समीर कुमार रावत पुत्र दिलीप कुमार निवासी औरंगाबाद जागीर थाना आशियाना लखनऊ को औरंगाबाद जागीर सेक्टर–1 थाना आशियाना लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना आशियाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना निगोहाः–दिनांक 24–01–2023 को थाना निगोहा द्वारा बताया गया कि श्री मुकेश पुत्र श्री मोलहे निवासी ग्राम परसपुर ठट्ठा थाना निगोहा लखनऊ ने थाना निगोहा पर सूचना दिया कि आज दिनांक 24–01–2023 को प्रातः उसके भतीजे अंकित रावत उम्र करीब 16 वर्ष पुत्र श्री सन्तोष रावत निवासी ग्राम परसपुर ठट्ठा थाना निगोहा लखनऊ ने गांव के बाहर स्थित नाले के पास लगे गुलर के पेड़ में दुपटटे का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना निगोहा लखनऊ द्वारा आवश्यक वैद्यानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक कक्षा 08 तक पढ़ा था, इस समय घर पर ही रहता था। मृतक के पिता मजदूरी करते है।

थाना गोमतीनगर विस्तार– आज दिनांक 24.01.2023 को थाना गोमतीनगर विस्तार द्वारा बताया गया कि वादी डा0 मनोज निवासी–20, कौशलपुरी कालोनी कैलाश विहार, निकट सिद्धेश्वर धाम मन्दिर, खरगापुर, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ ने थाना गोमतीनगर विस्तार पर सूचना दिया कि दिनांक 22/23.01.2023 की रात्रि में वादी अपने हॉस्पिटल जोवियल निकट कठौता चौराहा पर था। वादी के घर में कोई नहीं था। दिनांक 23.01.2023 को सायं वादी अपने हॉस्पिटल से वापस अपने उक्त घर पर आया तो देखा कि वादी के घर में बने आगन्तुक कक्ष के दरवाजे का कुण्डा खुला हुआ था और कमरे व किचन का सामान बिखरा पड़ा था। मुख्य कक्ष की आलमारी को खोलकर वादी की पत्नी की सोने के कीमती जेवरात को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना गोमतीनगर विस्तार पर मु0अ0सं0 21/2023 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**